भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2473
21 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में ऊर्जा की खपत

2473. श्री रविचंद्र वद्दीराजू:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के अध्ययनों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग कार्यों में सबसे अधिक ऊर्जा खपत होती है;

(ख) भारत में खाद्य प्रसंस्करण, प्रशीतन और पैकेजिंग में ऊर्जा की अत्यधिक खपत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा संधारणीय प्रथाएँ अपनाए जाने के लिए उपलब्ध किसी भी प्रोत्साहन या योजना का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में ऊर्जा खपत का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। एमओएफपीआई केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत ऊर्जा-कुशल उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), कुंडली , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा लागत को कम करने पर काम कर रहा है। नवीकरणीय/वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के लिए निफ्टेम द्वारा विकसित उपकरण इस प्रकार हैं:

(i) इवैक्यूएटेड ट्यूब सोलर ड्रायर (ईटीएसडी)
(ii) इवैक्यूएटेड ट्यूब हाइब्रिड ड्रायर (ईटीएचडी)
(iii) हाइब्रिड सोलर ग्रीनहाउस ड्रायर (एचजीएचडी)
(iv) हाइब्रिड नियंत्रण और इंटेलिजेंस के साथ सोलर सहायता प्राप्त रीफर परिवहन (सारथी)

इसके अलावा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने देश में गुणवत्तापूर्ण स्थापना और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए "थर्मल एनर्जी स्टोरेज बैकअप के साथ सोलर कोल्ड स्टोरेज के लिए डिज़ाइन विनिर्देश, कार्य-निष्पादन दिशानिर्देश और परीक्षण प्रक्रिया" अधिसूचित की है। सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज से फसलोपरांत होने वाले नुकसान में कमी आने और किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उन्हें अधिक अनुकूल समय पर भंडारण, उत्पादन और बिक्री करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत एक राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एनसीसीडी) की स्थापना की गई है, जो ताजे फलों और सब्जियों सहित जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कोल्ड-चेन अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों की सिफारिश करता है और प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ तालमेल रखते हुए समय-समय पर उनमें संशोधन करता है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य कोल्ड-चेन अवसंरचना के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की सिफारिश करना, मानव संसाधन विकास के लिए दिशा-निर्देश सुझाना और कोल्ड-चेन के विकास के लिए उचित नीति रूपरेखा की सिफारिश करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भी की गई है, जिसका उद्देश्य एकीकृत उच्च तकनीक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/हब विकसित करना, फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना का विकास करना तथा ताजा बागवानी उत्पादों के लिए एकीकृत, ऊर्जा कुशल कोल्ड चेन अवसंरचना आदि का विकास करना है।
